

तारीख
को इस
तामील
हुए

FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत


मुकाम

बनाम

रस मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-7-21	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली दिया गया। वकील वादी ने प्राप्त बटेवाड़ा प्रस्ताव पर सहमति जताई। वकील वादी ने बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस खुली गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने प्राप्त बटेवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर मनन किया। व्यायहित मे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर जिसे बहस वादी विकट प्रतिवादी सं० 1 के बस आशय की जारी कि जाती है कि ग्राम धौड़ास परवर हल्का धौड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नोक्त अराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के माम हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार अरमि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के माम हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे।</p> <p>1- श्री हगनलाल ज० श्री सवाईराम शर्मा निवासी धौड़ास तहसील - माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>बटेवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार हो अन्तिम डिडी उत्पाव के रुप में जारी करने में आपत्ति नहीं है। 27/7/21</p> 

जज
जिला भीलवाड़ा

P.T.O

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

आराजी नं०

रकबा

288/1

01-12 बीघा

कुल क्तिता 01 कुल रकबा 01-12 बीघा

2.

श्री मैकसिंह ज।० श्री केपसिंह राजपूत निवासी
घोड़ास तहसील भाण्डल जिला - भीलवाड़ा

आराजी नं०

रकबा

288

01-12 बीघा

कुल क्तिता 01 कुल रकबा 01-12 बीघा

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी स. 1
के नाम हक हिस्सेनुसार तहसीलदार भाण्डल
राजस्व बैकार्ड में अमल दुरामद करे। तदनुसार
डिक्री जारी हो। स्वर्चा फरिफेन अपना अपना
वहम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दफतर दारखिल हो।

उपबन्ध अधिकारी
भाण्डल जिला भीलवाड़ा

रीख
इस
मील
ए

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डा. पूजा सक्सेना (आ००५००००)

अनवान प्रकरण

श्री छगनलाल ज० श्री सवाईराम शर्मा निवासी- दौडास तहसील- माण्डल

वादी

बनाम

श्री भैकसिंह ज० श्री रूपसिंह राजपूत निवासी- दौडास तहसील- माण्डल
राजस्थान राज्य जारिए तहसीलदार सा- माण्डल तहसील- माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा न०/वई 38/20 निर्णय दिनांक 27-07-21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्तई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

निनजानिव मुददई व श्री प्रदीप कुमार व्यास जलाभिव मुदावला पेश होकर हुयम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर

डिक्री बहस वादी विकेइ प्रतिवादी सं० 1 में इस आशय की जारी की जाती है

कि ग्राम दौडास परवार हल्का दौडास तहसील माण्डल में स्थित निम्नोडित

आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम कब्जे

व हक हिस्सेनुसार शखस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है.

1. श्री छगनलाल ज० श्री सवाईराम शर्मा निवासी- दौडास तहसील- माण्डल
आराजी में रकबा

288/1

01-12 बीघा

कुलखिता 01 कुल रकबा 01.12 बीघा

लगातेर

आज तारीख 27-07-21 को मेरे इशतकत रथ न्यायालय की माहुर स जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाड़ा

2. श्री भीक सिंह ज/० श्री रूप सिंह राजपूत निवासी- धौड़ास तहसील भाण्डल

आराजो नं०


रकबा

288

01-12 बीघा

कुल डिवा 01 कुल रकबा 01-12 बीघा

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम कब्जे व हक हिस्सेनुसार भूमि को तहसीलदार भाण्डल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। स्वर्चा फरिक्न अपना-अपना वह करे।


उपखण्ड अधिकारी
मांडले जिला भीलवाड़ा

प्रारम्भिक डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा राजस्थान

वईजलास श्री डा. पूजा सक्सेना (आ०२०२०२०)

अनदान प्रकरण

श्री हसनलाल s/o श्री सवाईराम शर्मा निवासी- दौडास तहसील- माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री भूकसिंह s/o श्री रूपसिंह राजपूत निवासी- दौडास तहसील- माण्डल

2. राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार सा- माण्डल तहसील- माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा नं० / वर्ष 38/20 निर्णय दिनांक 09-02-21


यह मुकदमा आज अदालत वाद इनफिरसल कर्तार स्वरूप अदालत के हिजरी वर्कस के

मिनजानिय मुददई व श्री प्रदीप कुमार व्यास A/c मालाभिव मुदाबला पेश होकर हुज

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौडास परिवार हका दौडास तहसील माण्डल में स्थित आराजी सं० 288 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हक हिस्सा मिटित होने से उक्त भूमि में आवागमन के रास्ते की भूमि को शामिल करके हुंए मिस्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर भूमि का विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक

9-03-21 से पूर्व भिजवाये।

आज तारीख 09-02-2021 का मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मांडल जिला भीलवाडा